रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267177
CG-DL-E-27102025-267177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2025/कार्तिक 5, 1947
No. 706] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2025/KARTIKA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 790(अ).—केंद्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45यक, धारा 45यग, धारा 45यड. और धारा 56 के साथ पठित धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और बैंककारी कंपनी (नामनिर्देशन) नियम 1985 और सहकारी बैंक (नामनिर्देशन) नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैंककारी कंपनी (नामनिर्देशन) नियम 2025 है।

(2) ये तारीख 1 नवंबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. निक्षेपों की बाबत नामनिर्देशन. – (1) एक या अधिक व्यक्तियों के नाम में किसी बैंककारी कंपनी द्वारा धारित किसी निक्षेप की बाबत, यथास्थिति, निक्षेपक या सभी निक्षेपकों द्वारा मिलकर किया जाने वाला नामनिर्देशन, एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किंतु चार से अनधिक अनुक्रमश: या समसामयिक रुप से किया जा सकेगा।

(2) नामनिर्देशन निम्नलिखित में से किसी एक में किया जाएगा, -

(क) इन नियमों से उपाबद्ध नामनिर्देशन प्ररुप; या

(ख) इलैक्ट्रानिक या डिजिटल मोड ("ई-नामनिर्देशन") यदि बैंककारी कंपनी ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई हो ।

(3) बैंककारी कंपनी ई-नामनिर्देशन की अनुज्ञा तब ही दे सकेगी, यदि, वह –

(क) यथास्थिति, निक्षेपक या सभी निक्षेपकों को, चार से अनधिक एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने के लिए, अनुक्रमश: या समसामयिक रुप से सक्षम बनाता है;

(ख) नामनिर्देशन प्ररुप या ई-नामनिर्देशन में विहित सभी आवश्यक ब्यौरे अभिप्राप्त करता है;

(ग) यह सुनिश्चित करता है कि नामनिर्देशन निक्षेपक के प्रत्यय पत्र को अधिप्रमाणित, विधिमान्य और पुष्टि करता है; और

(घ) इसमें किए गए सभी नामनिर्देशन के लिए निक्षेपकों को सतर्क करने की प्रणाली है ।

(4) नामनिर्देशन के अधिप्रमाणन की पद्धतियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर;

(ख) इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक जो विश्वसनीय हो और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो; और

(ग) इंटरनेट या मोबाइल बैंककारी अनुप्रयोग:

परंतु अधिप्रमाणन की (क) और ख पद्धतियों की दशा में, एकल कारक अधिप्रमाणन जो नामनिर्देशन करने वाले निक्षेपक के प्रत्यय पत्र को विधिमान्य और पुष्टि करता है, पर्याप्त होगा और पद्धति (ग) की दशा में, न्यूनतम दो कारक अधिप्रमाणन जो नामनिर्देशन करने वाले निक्षेपक के प्रत्यय पत्र को विधिमान्य या पुष्टि करता है, अनिवार्य होगा ।

(5) नामनिर्देशन केवल उस निक्षेप की बाबत किया जा सकेगा जो निक्षेपक की व्यक्तिगत हैसियत में धारित हो न कि किसी पद के धारक के रुप में किसी प्रतिनिधि की हैसियत में या अन्यथा ।

(6) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां यथास्थिति, निक्षेपक या सभी निक्षेपक मिलकर, नामनिर्देशन करते समय, किसी अन्य व्यक्ति को जो अवयस्क न हो, यथास्थिति, निक्षेपक या सभी निक्षेपकों की मृत्यु की दशा में, नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान नामनिर्देशिती की ओर से निक्षेप की रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकेगा या सकेंगे ।

(7) किसी अवयस्क के नाम में किए गए निक्षेप की दशा में, नामनिर्देशन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्वक हकदार हो ।

(8) निक्षेपक या सभी निक्षेपकों द्वारा मिलकर किया जाने वाला पूर्ववर्ती नामनिर्देशन या ई-नामनिर्देशन में फेरफार या रद्दकरण पश्चातवर्ती नामनिर्देशन या ई-नामनिर्देशन के माध्यम से किया जाएगा ।

(9) प्रत्येक पश्चातवर्ती नामनिर्देशन, यथास्थिति, पूर्ववर्ती नामनिर्देशन को रद्द कर देगा या उसमें फेरफार कर देगा ।

(10) यथापूर्वोक्त, नामनिर्देशन , नामनिर्देशन का रद्दकरण या नामनिर्देशन में फेरफार किसी भी समय जिसके दौरान निक्षेप किसी बैंककारी कंपनी द्वारा, यथास्थिति, निक्षेपक या निक्षेपकों के नाम में धारित है, किया जा सकेगा ।

(11) एक निक्षेपक से अधिक के नाम में धारित किसी निक्षेप की दशा में, किसी नामनिर्देशन का रद्दकरण या उसमें फेरफार तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह सभी निक्षेपकों द्वारा नहीं किया जाता ।

(12) बैंककारी कंपनी संबंधित निक्षेपक या निक्षेपकों को नामनिर्देशन प्ररुप या ई-नामनिर्देशन फाइल करने और नामनिर्देशन के रद्दकरण या फेरफार के तथ्यों को भी लिखित में या इलैक्ट्रानिक या डिजिटल मोड में अभिस्वीकृति देगा ।

(13) सम्यक रुप से संपूरित नामनिर्देशन प्ररुप या ई-नामनिर्देशन या नामनिर्देशन का पश्चातवर्ती रद्दकरण या फेरफार बैंककारी कंपनी की बहियों में भौतिक रुप से या इलैक्ट्रानिक रुप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(14) नामनिर्देशन या नामनिर्देशन का रद्दकरण या नामनिर्देशन में फेरफार का केवल निक्षेप के नवीकरण के कारण प्रवृत्त रहना समाप्त नहीं हो जाएगा ।

(15) यदि, यथास्थिति,व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसने निक्षेप की बाबत नामनिर्देशन किया है, वह चाहता है कि उस नामनिर्देशन को उसी बैंककारी कंपनी में उसके या उनके अन्य खातों में विस्तारित किया जाए तो बैंककारी कंपनी को उक्त प्रभाव के लिए अनुरोध किया जा सकेगा और एक बार बैंककारी कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उन खातों में से प्रत्येक के लिए पृथक नामनिर्देशन किया गया है ।

(16) यदि, भूल द्वारा या अन्यथा, नामनिर्देशन चार व्यक्तियों से अधिक के पक्ष में नामनिर्देशन प्ररुप में किया गया है तो क्रम में आने वाले पहले चार व्यक्तियों के नाम मान्य किए जाएंगे ।

3. सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं की बाबत नामनिर्देशन. – (1) किसी बैंककारी कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला नामनिर्देशन अनुक्रमश: चार से अनधिक एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा ।

(2) नियम 2 के उपनियम (2) से उपनियम (16) सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के संबंध में नामनिर्देशनों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

4. सुरक्षा लाकरों की बाबत नामनिर्देशन.- (1) यथास्थिति, किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाने वाला नामनिर्देशन जो लाकर भाड़े पर लेते हैं, चाहे ऐसा लाकर बैंककारी कंपनी के सुरक्षित निक्षेप वाल्ट में स्थित हो या कहीं और, अनुक्रमश: चार से अनधिक एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में होगा ।

(2) नियम 2 के उपनियम (2) से उपनियम (16) लाकर की बाबत नामनिर्देशनों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

नामनिर्देशन प्ररुप

सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षित लाकर में बैंक निक्षेपों, वस्तुओं की बाबत नामनिर्देशन, नामनिर्देशन का रद्दकरण और नामनिर्देशन में फेरफार के लिए प्ररुप

(बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45-यक, धारा 45-यग और धारा 45-यड. और बैंककारी कंपनी (नामनिर्देशन) नियम, 2025 के नियम 2 से नियम 4 देखें)

बैंक का नाम: ....

शाखा: ....

ग्राहक आईडी/खाता सं./लाकर सं.: ....

बैंक ग्राहक ब्यौरे जिसके अंतर्गत सुरक्षित अभिरक्षा/लाकर में निक्षेप /वस्तु भी है:-

(*नामनिर्देशन प्ररुप सुरक्षित अभिरक्षा/लाकर में बैंक निक्षेप /वस्तु की बाबत है)

*निक्षेपक/सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तु छोड़ने वाले व्यक्ति/लाकर भाड़े पर लेने वाले का नाम

1....................

2.....................

3.......................

4...........................

* बैंक ग्राहक की खाता संख्या/लाकर संख्या/अन्य पहचान संख्या:

* निक्षेप की प्रकृति / वस्तुओं की प्रकृति/ लाकर की प्रकृति:

सुभेदक संख्या:

अतिरिक्त ब्यौरे, यदि कोई हो :-

*जो भी सुसंगत न हो उसे काट दे

^बैंक इस प्ररुप का अनुवाद उस भाषा में कर सकेगा जिसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति समझता हो

2. नामनिर्देशन ब्यौरे

मैं/हम, अद्योहस्ताक्षरी, निम्नलिखित, व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित विशिष्टियों की बाबत निक्षेपों की रकम या सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं या लाकर की अंतर्वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित करता/करती हूं/करते हैं :

क्रम संख्या|	नामनिर्देशिती का नाम|	&पता|	&ईमेल/ मोबाइल नंबर यदि कोई हो|	बैंक ग्राहक से संबंध, यदि कोई हो|	आयु	आनुक्रमिक नामनिर्देशन की दशा में पूर्विकता का क्रम|	#बैंक निक्षेप की दशा में प्रतिशत में निक्षेप की रकम का अनुपात
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)	(ज)
1.						पहला नामनिर्देशिती	
2.						दूसरा नामनिर्देशिती	
3.						तीसरा नामनिर्देशिती	
4.						चौथा नामनिर्देशिती	

#सुरक्षित अभिरक्षा या लाकर में वस्तु की बाबत नामनिर्देशन की दशा में इस स्तंभ को हटा दिया जाना है ।

&बैंक समय समय पर ई-नामनिर्देशन में इन ब्यौरों को उपांतरित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि अपेक्षित हो ।

टिप्पण :

(i) समसामयिक नामनिर्देशन एक से अधिक नामनिर्देशिती किंतु चार से अनधिक के नामनिर्देशन को निर्दिष्ट करता है जिसका प्रतिशत परिभाषित हो और कुल योग 100 प्रतिशत हो ।

(ii) आनुक्रमिक नामनिर्देशन पूर्विकता के क्रम में एक व्यक्ति के पक्ष में नामनिर्देशन को निर्दिष्ट करता है और यह भी चार नामनिर्देशितियों तक सीमित है; और क्रम में निम्नतर नामनिर्देशिती उच्चतर क्रम में नामनिर्देशिती की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होगा।

(iii) उपरोक्त स्तंभ (ज) सुरक्षा अभिरक्षा/लाकरों में वस्तुओं की बाबत नामनिर्देशन की दशा में लागू नहीं होता है;

(iv) निक्षेप की बाबत, स्तंभ (छ) और स्तंभ (ज) में से केवल एक फील किया जाना है।

(v) स्तंभ (ज) में सभी नामनिर्देशितियों का कुल प्रतिशत 100 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

(vi) यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित किया जाता है तो पूर्विकता के क्रम में स्तंभ (ख) में दिए गए नामों के क्रम के अनुसार समझा जाएगा ।

---

3. नामनिर्देशन का रद्दकरण/नामनिर्देशन में फेरफार :

मैं/हम................, अद्योहस्ताक्षरी, यह घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि उपरोक्त नामनिर्देशन उपरोक्त वर्णित सुरक्षित अभिरक्षा /लाकर में निक्षेप /वस्तु की बाबत मेरे /हमारे द्वारा किए गए सभी पूर्ववर्ती नामनिर्देशन, यदि कोई हो, के अधिक्रमण में किए गए है| मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि उपरोक्त नामनिर्देशन से बैंक/लाकर की अभिरक्षा में बैंक निक्षेप/ वस्तु की बाबत पूर्ववर्ती नामनिर्देशन रद्द हो जाते हैं ।

---

4. संरक्षक ब्यौरे (यदि कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है)

क्रम संख्या|	नामनिर्देशिती का नाम|	संरक्षक का नाम|	नामनिर्देशिति से संबंध|	पता|	संरक्षक का ई मेल/मोबाइल नंबर, यदि कोई हो ।
1.					
2.					
3.					
4.					

5. घोषणा और हस्ताक्षर

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि उपरोक्त उपबंधित सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान/विश्वास से सत्य है । मैं/हम समझते हैं/समझती हूं कि यह नामनिर्देशन उपरोक्त उल्लिखित खातों के लिए किसी पूर्ववर्ती नामनिर्देशन को अतिष्ठित करता है ।

@हस्ताक्षर/ई-अधिप्रमाणन तारीख

निक्षेपकों का नाम

@ यदि कोई व्यक्ति जो पढ़ और/या लिख नहीं सकता है, हस्ताक्षर से ऐसे व्यक्ति के अंगूठे की छाप अभिप्रेत है, जिसे दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए ।

---

6. अभिस्वीकृति (केवल बैंक के उपयोग के लिए)

से नामनिर्देशन प्ररुप प्राप्त किया गया: ....

ग्राहक आई डी: ....

प्राप्ति की तारीख : ..../.........../...........

सीबीएस/कोर बैंककारी प्रणाली पर अभिलिखित: हां/नहीं ....

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर....................

नाम और पदनाम:.................

मुद्रा और तारीख: ....

बैंक ग्राहक के लिए अनुदेश :

1. आप स्पष्ट रुप से परिभाषित शेयर प्रतिशत के साथ एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेंगे ।
2. आप आनुक्रमिक नामनिर्देशितियों को नियुक्त कर सकेंगे । आनुक्रमिक नामनिर्देशन की दशा में नामनिर्देशन पूर्विकता के क्रम में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में प्रभावी होगा जिसमें उनका नाम नामनिर्देशन ब्यौरे की उपरोक्त सारणी में उपस्थित हो । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामनिर्देशन के क्रम में निम्नतर किसी नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन, उन सभी नामनिर्देशितियों की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होगा जिनके नाम नामनिर्देशन के क्रम में उच्चतर हैं ।
3. नामनिर्देशन उपरोक्त विस्तृत सभी बैंक खातों/लाकरों/वस्तुओं पर लागू होगा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।
4. यह प्ररुप या इस प्ररुप में दिए गए ब्यौरे परिस्थितियों के अनुसार स्वीकृत हो, इलैक्ट्रानिक रुप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जहां बैंक ई- नामनिर्देशन के लिए समर्थ बनाता है ।

5. यदि निक्षेप अवयस्क के नाम से किया जाता है या वस्तु अवयस्क के नाम पर सुरक्षित रखी जाती है या लाकर एकमात्र रूप से अवयस्क नाम में भाड़े पर लिया गया है यह नामनिर्देशन प्ररुप अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधिपूर्ण रुप से हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

[फा.सं. 7/19/2023-बीओए-।]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2025

G.S.R. 790(E).—–In exercise of the powers conferred by section 52, read with sections 45ZA, 45ZC, 45ZE and 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), after consultation with the Reserve Bank of India, and in supersession of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 and the Co-operative Banks (Nomination) Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Banking Companies (Nomination) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 1st day of November, 2025.

2. Nomination in respect of deposits. — (1) The nomination by the depositor, or as the case may be, all the depositors together, in respect of a deposit held by a banking company to the credit of one or more individuals, may be made in favour of one or more individuals, but not exceeding four, either successively or simultaneously.

(2) The nomination shall be made either in, —

(a) the Nomination Form annexed to these rules; or

(b) the electronic or digital mode (“e-nomination”) in case the banking company has made such a facility available.

(3) A banking company can permit e-nomination only, if it, —

(a) enables the depositor, or as the case may be, all the depositors, to nominate one or more individuals not exceeding four, either successively or simultaneously;

(b) obtains all necessary details prescribed in the Nomination Form or e-nomination;

(c) ensures that the nomination is authenticated, validating and confirming the credentials of the depositor; and

(d) has a system of alerting the depositor for all nominations made.

(4) The methods of authentication of nomination shall include, —

(a) electronic signature;

(b) electronic authentication technique that is reliable and specified in the Second Schedule to the Information Technology Act, 2000; and

(c) internet or Mobile banking application:

Provided that in case of methods (a) and (b) of authentication, a single factor authentication, which validates and confirms the credentials of the depositor making the nomination shall be sufficient, and in case of method (c), a minimum two factor authentication, that validates and confirms the credentials of the depositor making the nomination shall be mandatory.

(5) The nomination shall be made only in respect of deposits which are held in the individual capacity of the depositor and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.

(6) Where the nominee is a minor, the depositor or, as the case may be, all the depositors together, may, while making the nomination, appoint another individual not being a minor, to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of the death of the depositor or, as the case may be, all the depositors during the minority of the nominee.

(7) In the case of a deposit made in the name of a minor, the nomination shall be made by an individual lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(8) The variation or cancellation of the previous nomination or e-nomination made by the depositor or all the depositors together shall be through subsequent nomination or e-nomination.

(9) Every subsequent nomination shall cancel the previous nomination, or vary it, as the case may be.

(10) A nomination, cancellation of nomination or variation of nomination may be made as aforesaid at any time during which the deposit is held by a banking company to the credit of the depositor or depositors, as the case may be.

(11) In the case of a deposit held to the credit of more than one depositor, the cancellation or variation of a nomination shall not be valid unless it is made by all the depositors.

(12) The banking company shall acknowledge in writing or in electronic or digital mode, to the concerned depositor or depositors, the filing of the Nomination Form, or e-nomination and also the fact of cancellation or variation of nomination.

(13) The duly completed Nomination Form or e-nomination or subsequent cancellation or variation of nomination shall be registered in the books of the banking company, either physically or electronically.

(14) A nomination or cancellation of nomination or variation of nomination shall not cease to be in force merely by reason of the renewal of the deposit.

(15) If an individual, or a group of individuals, as the case may be, who has made a nomination in respect of a deposit, desires to have that nomination extended to his or their other accounts in the same banking company, a request may be made to the said effect to the banking company, and once accepted by the banking company, it shall be treated as if a separate nomination has been made for each of those accounts.

(16) If, by mistake or otherwise, a nomination is made in the Nomination Form in favour of more than four individuals, the names of the first four individuals appearing in the order, shall be recognised.

3. Nomination in respect of articles in safe custody. — (1) The nomination to be made by an individual in respect of articles left in safe custody with a banking company shall be in favour of one or more individuals not exceeding four, successively.

(2) Sub-rules (2) to (16) of rule 2 shall apply *mutatis mutandis* to nominations in respect of articles kept in safe custody.

4. Nomination in respect of safety lockers. — (1) The nomination to be made by an individual or as the case may be, all the individuals together, who hire a locker whether such locker is located in the safe deposit vault of banking company or elsewhere, shall be in favour of one or more individuals not exceeding four, successively.

(2) Sub-rules (2) to (16) of rule 2 shall apply *mutatis mutandis* to nominations in respect of lockers.

Nomination Form

FORM FOR NOMINATION, CANCELLATION OF NOMINATION AND VARIATION OF NOMINATION IN RESPECT OF THE BANK DEPOSITS, ARTICLES IN SAFE CUSTODY AND SAFETY LOCKERS

(See Sections 45-ZA, 45-ZC and 45-ZE read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 and rules 2 to 4 of the Banking Companies (Nomination) Rules, 2025)

Bank Name: ___________________________________

Branch: _______________________________________

Customer ID/Account No./Locker No.: _________________________

Bank Customer details including deposit/article in safe custody/locker: -

(*Nomination form is in respect of bank deposit/article in safe custody/locker)

*Name of Depositor/individual leaving article in safe custody/Hirer of a locker:

1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. ___________________

*Account Number/locker Number/Other identification number of bank customer:

* Nature of deposit/nature of articles/nature of locker:

Distinguishing Number:

Additional details, if any: -

*Strike out whatever is not relevant

^ The bank may translate this form in a language in which individual signing understand

2. Nomination Details

I/We, the undersigned, hereby nominate the following individual(s) to receive the amount of the deposits(s) or the articles in safe custody or the contents of the locker in respect of the particulars above mentioned in the event of my/our death:

Serial Number.	Name of Nominee.	&Address.	&Email/Mobile number, if any.	Relationship with bank customer, if any.	Age	Order of priority in case of successive nomination.	#Proportion of amount of deposit in percentage in case of bank deposit.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1.						First Nominee	
2.						Second Nominee	
3.						Third Nominee	
4.						Fourth Nominee	

#In case of nomination in respect of the article in safe custody or locker, this column is to be deleted.

& The bank may allow to modify these details in e-nomination from time to time, if required.

Note:

(i) Simultaneous nomination refers to nomination of one more nominee but not exceeding four, with defined percentage and total amounting to 100%.

(ii) Successive nomination refers to nomination in favour of one individual in order of priority and is also limited to four nominees; and the nominee lower in the order shall become effective only after the death of the nominee in the higher order.

(iii) Column (H) above is not applicable in case of nomination in respect of the articles in safe custody/lockers.

(iv) In respect of the deposits, out of column (G) and (H), only one column is to be filled.

(v) Total percentage across all nominees in column (H) must equal 100%.

(vi) If more than one individual is nominated, the order of priority shall be deemed to be in order in which names appear in column (B)

---

3. Cancellation of Nomination/Variation of Nomination:

I/We __________, the undersigned, hereby declare that the above nomination is made in supersession of all the previous nominations, if any, made by me/us in respect of the deposit/article in safe custody/locker described above. I/We declare that the above nomination has the effect of cancelling previous nominations in respect of the bank deposit/ article in custody of bank/locker.

---

4. Guardian Details (if any nominee is a minor)

Serial Number.	Name of Nominee.	Name of Guardian.	Relationship with Nominee.	Address.	Email/Mobile number of guardian, if any.
1.					
2.					
3.					
4.					

5. Declaration & Signature

I/We declare that the information provided above is true to the best of my/our knowledge and belief. I/We understand that this nomination will supersede any previous nominations for the above-mentioned accounts(s).

@Signature/E-authentication date

Name of Depositor(s)

@ In case of individual who cannot read and /or write, the signature means thumb-impression of such individual, which should be attested by two witnesses.

---

6. Acknowledgement (For Bank Use Only)

Received Nomination Form from: ____________________________________

Customer ID: ___________________

Date of Receipt: ____/______/______

Recorded on CBS / Core Banking System: Yes / No

Reference Number: _______________________

Signature of Bank Official: __________________

Name & Designation: ______________________

Seal & Date: ______________________________

Instructions for Bank Customer:

1. You may nominate **more than one individual**, with clearly defined share percentages.
2. You may appoint successive nominees. In case of successive nomination, nomination shall be effective **only in favour of one individual in order of priority** in which their name appears in above table of nomination details. It may be noted that nomination of any nominee lower in the order of nomination shall become effective only after the death of all the nominees whose names are higher in the order of nomination.
3. Nomination is applicable to **all bank accounts/lockers/articles detailed** above unless otherwise specified.
4. This form or the details in this form, as circumstances may admit, can be submitted electronically where the bank enables **e-nomination.**
5. If deposit is made in the name of minor or article is left in safe custody in the name of minor or locker is solely hired in the name of minor, this nomination form should be signed by an individual lawfully entitled to act on behalf of the minor.

[F. No. 7/19/2023-BOA-I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA